(c) whether Government's collaboration approval is given subject to the condition that no foreign brand/trade name belonging to the foreign collaborators or any other foreign company shall be used by the Indian Company; and

(d) if so, action Government propose to take against M/s. Sharpedge Ltd. for violating Government's orders?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (d). M/s. Sharpedge are registered with Directorate General of Technical Development for the manufacture of razor blades since January, 1970. M/s. Sharpedge had also been registered as Registered Users of the Trade Mark 'Erasmic' in July, 1967 which is valid till February, 1978. They have been using this name on the blades manufactured by them with indigenous know-how.

They were approved of a foreign technical collaboration with Messrs Thibaud Gibbs, France, in June, 1975 for the Manufacture of Stainless Steel razor blades. In the approval letter, it has been stipulated that foreign brand names will not ordinarily be allowed for use on the products for internal sale although thereis no objection for their use on the products to be exported. Even when they applied for the foreign collaboration, they had stated that they had been using the foreign brand name 'ERASMIC' for their then existing product. As this name is not that of the collaborators, Government cannot take any objection.

खाना-बदोश जातियां

5012. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खाना-बदोश जातियां कितनी हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें स्थायी रूप से बसाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

जेलों में पाकिस्तानियों के रूप में भारतीय

5013. **श्री नरसिंह यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के पश्चात् देश के कितने भारतीय नागरिकों (मुस्लिम, बंगाली, सिंधी) को पाकिस्तानी समझा गया और विभिन्न जेलों में बन्द रखा गया और वे कितने वर्षों तक जेलों में रहे;

(ख) कितने ऐसे व्यक्तियों के मामलों में सुनवाई शुरू कर दी गई है और कितनों को बन्द करके रखा हुआ है; और

(ग) क्या सरकार का विचार यथा-सम्भव शीघ्र उन निर्दोष नागरिकों को रिहा करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग). सरकार को किसी भारतीय नागरिक को पाकिस्तानी समझे जाने और जेल में बन्द किये जाने की जानकारी नहीं है। यदि कोई ऐसा मामला ध्यान में आयेगा तो उचित कार्यवाही की जायेगी।

Connections of Chairman of Maruti Limited with South India Steel and Sugars Limited

5014. SHRI VENUGOPAL GOUNDER: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Chairman of Maruti Limited is connected with South

India Steel and Sugars Limited Mundiampakkam, South Arcot District;

(b) if so, in what capacity;

(c) whether it is a fact that an incriminating document purported to have been written by him to Shri Sanjay Gandhi regarding investments in foreign banks/concerns was discovered; and

(d) if so, the results of the probe made, if any?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) Yes, Sir. Shri M. A. Chidambaram has, however, resigned as Director and Chairman of M/s. Maruti Limited with effect from the 17th May, 1977.

(b) Shri M. A. Chidambaram is also the Chairman of M/s. South India Steel and Sugars Limited, Mundiampakkam, South Arcot District.

(c) No document purported to have been written by Shri Chidambaram to Shri Sanjay Gandhi regarding investments in foreign bank/concern was discovered during the search of the Maruti premises.

(d) Does not arise.

Conversion of Adhyamankottai to Hosur Major District Road into National Highway

5015. SHRI V. PERIASAMY: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state whether Government propose to convert Adhyamankottai to Hosur major district road to a national highway in view of the heavy traffic on that road?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): No, Sir. We have not received any such proposal from the Govt. of Tamil Nadu nor does the Govt. of India have any such proposal under consideration.

पद पर रहते हुए मरने वाले मंत्रियों के आश्रितों को सहायता

5016. **श्री राम नरेश कुशवाहा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रधान मंत्री और उन मंत्रियों, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, के आश्रितों को रिहायसी आवास और वित्तीय सहायता उपलब्ध करती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आश्रितों के नाम क्या हैं जो सहायता प्राप्त कर रहे हैं और वे कितनी सहायता प्राप्त कर रहे हैं ;

(ग) क्या स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के आश्रित भी यह सहायता प्राप्त कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो कितनी और किस प्रकार की सहायता प्राप्त कर रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ङ). सरकार ने ऐसे दो मामलों में पेंशन और रिहायशी आवास की स्वीकृति दी है। ये हैं :—

(1) स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की विधवा को 11-1-1966 से 15,000 रु० वार्षिक जीवन पर्यन्त पेन्शन निम्नलिखित सुविधाओं के साथ स्वीकृत की गई ।

(1) दिल्ली/नई दिल्ली में जनरल पूल से रिहायसी आवास का आवंटन जिसका किराया एफ आर 45-ए के अनुसार अथवा पेंशन का 10 प्रतिशत जोभी कम हो लिया जाना, तथा

(2) श्रीमती ललिता शास्त्री और उन के परिवार को केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के अधीन चिकित्सा उपचार सुविधाएं दिया जाना ।